कृपाशंकर बनाम ग्रामपंचायत पाटीया
मु०नं० 19/2016

1 प्रार्थना पत्र 212 RJ.Act. 3039 1.2.15

14-7-17 पत्रावली आज आपके द्वार शिविर खेरवाड़ा पर पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित हुये मौका कमिश्नर तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा रिपोर्ट पेश कि गई जो शामिल फाईल है। वादी वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति इन तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है।

(1) प्रथम दृष्टया मामला :→ हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा अपने रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राम पाटीया आराजी नं 371 पर जो कि वादी की खातेदारी भूमि है। किसी तरह का निर्माण होना नही पाया गया है तथा अन्न भण्डारण का पंचायत द्वारा आराजी नं० 941 पर निर्माण किया जा रहा है जो बिलानाम भूमि है

अत: प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही साबित होता है।

2 सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति :→ चुकी निर्माण कार्य पंचायत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम मे जारी हुए
	मु० नं० 19/2016	

गया कि वादी की आराजी नं० 371 मे नया किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नही हो रहा है तथा पंचायत द्वारा - निर्माण कार्य आराजी नं० 951 मे किया जा रहा है जो कि सरकारी भूमि है।

अतः सुविधा का संतुलन भी वादी की पक्ष मे नही साबित होता है। परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]